327

निग/2697/III/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सी.बी.एम.प्रोजेक्ट, लालपुर

द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, शहडोल म.प्र.

विरूद्व

हेमराज पाल पिता बुलाकी पाल

निवासी–ग्राम लालपुर तहसील–सोहागपुर

जिला–शहड़ोल म.प्र.

राजस्व निरीक्षक मण्डल कंचनपुर तहसील सोहागपुर जिला–शहड़ोल द्वारा प्रकरण क्रमांक–22/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–23–03–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है–

1. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी सीमांकन कार्यवाही एवं उसकी पुष्टि का आदेश दिनांक 25–03–2015 अनियमित एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अनावेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के पश्चात राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 19–03–2015 को सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किया जिसमें दिनांक 22–03–2015 को 11 बजे का समय नियत किया गया था परंतु नियत दिनांक एवं समय पर सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गयी.

3. यह कि, तथाकथित सीमांकन का जो पंचनामा बनाया गया उसमें अंकित किया गया कि "आज दिनांक 23–03–2015 को" सीमांकन किया गया जबकि दिनांक 23–03–2015 सीमांकन हेतु नियत नहीं की गयी थी और ना ही दिनांक 23–03–2015 के लिये कोई सूचना पत्र जारी किया गया इस तथ्य से ही प्रभाणित है कि सीमांकन की कार्यवाही कार्यालय में बैठकर की गयी एवं मात्र कागजी कार्यवाही है.

4. यह कि, दिनांक 23–03–2015 को बनाये गये मौका पंचनामा की अंतिम तीन पंक्तियों से यहीं प्रमाणित होता है कि आवेदक के विरूद्व उसमें की गयी टिप्पणी पंचनामा निर्मित करने के पश्चात अवैध रूप से की गयी उक्त पंचनामे के अंत में लिखा है कि "आवेदक सीमांकन से सहमत है मौका पंचनामा हम सब पढ सुनकर सही हस्ताक्षर किये है" पंचनामा पूर्ण करने के पश्चात उसमें एक टिप्पणी अवैध रूप से जोडी गयी जिसमें लिखा है गया कि "मौके पर उक्त आराजी नम्बर के भाग 0.089 हैक्टेयर पर रिलायन्स का रोड

· न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2697–तीन/2015 जिला– शहडोल

रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमि. विरूद्ध हेमराज

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12–03–2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित।<br>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला–शहडोल के प्रकरण क्रमांक 22/अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br>4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।<br>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।<br><br>(आर.के. जैन)<br>सदस्य 12/3/19 | |